वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी) की गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर सरकारी समीक्षा

लेखा एवं स्थापना का सार

एन.सी.सी.डी को दिनांक 27.01.2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था और इसे सोसायटी के सदस्यों के रूप में हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी(पी.पी.पी.) मोड में संचालित करने के लिए बनाया गया था। कैबिनट द्वारा दिनांक 09.2.2012 को अनुमोदन प्रदान करने के बाद, डी.ए. एवं एफ.डब्ल्यु ने इतनी ही धनराशि का कॉर्पस स्थापित करने के लिए रु.25 करोड़ का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया, ताकि एन.सी.सी.डी को ब्याज के रूप में अर्जित आय और एन.सी.सी.डी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त शुल्क और शुल्क से अर्जित अन्य आय का उपयोग इसके प्रशासनिक, कार्मिकों और अन्य लागतों को पूरा करने में किया जाएगा, जैसा कि इसकी शासी(गवर्निंग) परिषद् द्वारा तय किया गया है। एन.सी.सी.डी का गठन इस तरह से किया गया है कि यह दिन-प्रतिदिन प्रत्यक्ष सरकारी भागीदारी से दूर होता है और सरकार पर इसके संचालन और रखरखाव की वजह से कोई लागत नहीं आती है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य से पैनल किए गए चार्टर्ड एकाउंटेंट मेसर्स ए.पी.एन. एंड एसोसिएट्स द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए खातों की लेखापरीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु आय एवं व्यय लेखा का सार निम्नलिखित है :

(रुपए लाख में)

मद	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
ब्याज आय	237.88	239.42
घटाएं : प्रशासनिक खर्चे	49.39	98.04
व्यय से अधिक आय	188.49	141.38
धारा 11 के तहत सकल आय के 15% की छूट	35.68	35.91
अगले 5 वर्ष "सामान्य सावर्जनिक उपयोगिता" के प्रयोजनों के लिए अलग शेष(बैलेंस) - सेट अपार्ट(set apart)	152.81	105.47
कुल	188.49	141.38

एन.सी.सी.डी को जुलाई, 2015 में आयकर अधिनियम की धारा 12 एए के तहत "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता" के रूप में पंजीकृत किया गया था। यह इसे प्रत्येक वर्ष अपनी सकल आय के 15% के

कैलाश चौधरी/Kailash Choudhary

लिए आयकर से छूट प्रदान करता है। सकल आय में से 85% अव्ययित धनराशि पर कर लग सकता है, जब तक कि अधिनियम की धारा 11(2) के तहत 5 वर्ष के भीतर भविष्य के खर्चों के लिए अलग(set apart) नहीं किया जाता है। अभी तक वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कोई आयकर देयता नहीं है। एन.सी.सी.डी को दिनांक 01.04.2016 से कोल्ड-चेन ज्ञान प्रसार के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर सेवाकर से छूट दी गई है।

श्री राजबीर सिंह, जे.एस(एमआईडीएच) / एमडी एन.एच.बी ने दिनांक 17.10.2019 से निदेशक, एन.सी.सी.डी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। श्री बी.एन.एस मूर्ति, बागवानी आयुक्त ने दिनांक 28.02.2020 से दिनांक 31.05.2021 तक सी.ई.ओ-एन.सी.सी.डी का अतिरिक्त प्रभार संभाला था।

एन.सी.सी.डी की कार्यकारी समिति(ई.सी) ने प्रारंभ में 13 कर्मचारियों की मंजूरी दी, जिसके प्रति दिनांक 31.3.2021 को केवल 6 व्यक्ति पदस्थ थे। एन.सी.सी.डी की कार्यकारी समिति में सचिव(डीए एंड एफडब्ल्यु) की अध्यक्षता में 13 सदस्य होते हैं। शासी परिषद्(गवर्निंग काउंसिल) में अध्यक्ष के रूप में सचिव(डीए एंड एफडब्ल्यु) के तहत 16 सदस्य होते हैं।

एन.सी.सी.डी दिनांक 27.1.2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज, गुरुग्राम में पंजीकृत किया गया था और शुरूआत में इसका कार्यालय एन.एच.बी परिसर में था। इसके बाद, इसका कार्यालय जनपथ भवन, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। एन.एच.बी के साथ समन्वय में अपनी भूमिका का निर्वहन करने में प्रशासनिक सुविधा और प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए डी.ए एंड एफ.डब्ल्यु ने कार्यालय आदेश दिनांकित 7.8.2021 द्वारा एम.डी, एन.एच.बी को दो संगठनों के बीच प्रभावी समन्वय के लिए एन.सी.सी.डी के पदेन निदेशक के रूप में नामित किया गया है। एन.सी.सी.डी कर्मचारियों को तदनुसार गुरुग्राम में एन.एच.बी परिसर में एक अलग ब्लॉक में स्थानांतरित कर दिया गया है।

गतिविधियों और उपलब्धियों की समीक्षा

- एन.सी.सी.डी निम्नलिखित क्षेत्रों में एन.सी.सी.डी के सदस्यों के साथ समन्वय में क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है :
  - -कोल्ड-चेन योजनाओं पर आउटरीच जागरूकता अभियान
  - -पकने(राइपिनिंग) वाले चैम्बरों हेतु उद्यमी विकास तथा कौशल प्रशिक्षण
  - -कोल्ड-चेन पर तकनीकी प्रशिक्षण
  - -फ्रांस में कोल्ड-चेन पर सेमाफ्रॉइड द्वारा प्रशिक्षण

- एन.सी.सी.डी ने कृषि उद्यान, खराब होने वाले कार्गो की आवाजाही हेतु रेफ्रिजरेटेड कोचों, ऑपरेशन ग्रीन, एन.एच.बी के क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एम.आई.डी.एच के ई.एफ.सी मेमो, पूर्वोत्तर क्षेत्र के जैविक मूल्य चेन विकास कार्यक्रम इत्यादि पर जानकारी प्रदान की है।
- एम.आई.डी.एच की परियोजना मूल्यांकन समिति और एपीडा(ए.पी.ई.डी.ए) की तकनीकी समितियों में एन.सी.सी.डी सक्रिय है।
- एन.सी.सी.डी लॉजिस्टिक्स सेक्टर कौशल काउंसिल(एल.एस.सी) की शासी(गवर्निंग) काउंसिल का सदस्य है, जिसने लॉजिस्टिक्स सेक्टर में कुशल मानव संसाधन विकसित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं।
- एन.सी.सी.डी ने सड़क परिवहन सेवाओं के लिए रणनीति/श्वेत पत्र का मसौदा तैयार करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरों(बी.आई.एस) द्वारा गठित परिवहन सेवा सेक्शनल समिति(एस.एस.डी-01) के पैनल के सदस्य के रूप में तकनीकी बैठकों में सहभागिता की और अपना योगदान दिया।
- एन.सी.सी.डी ने परियोजना अनुमोदनों, लागत मानदंड, तकनीकी मामलों इत्यादि से संबंधित एम.आई.डी.एच, एन.एच.बी, ए.पी.ई.डी.ए, एम.ओ.एफ.पी.आई की तकनीकी समिति की बैठकों में सदस्य/आमंत्रित के रूप में सहभागिता की।
- एन.सी.सी.डी भारत में कोल्ड-चेन को रूपांतरित (ट्रांसफॉर्मिंग) करने पर अपने अनुसंधान में शेफील्ड विश्वविद्यालय के साथ बातचीत कर रहा है।